न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–104/2016

CIS No.-TS 372/2018

रेयाज अहमद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 रिजवानउल्लाह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.04.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–15 की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.04.2026 अंतर्गत आदेश 08 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता 151 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण रेयाज अहमद असलम परवेज एवं सफी जावेद द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए दायर किया गया है कि वे कुल चार भाई एक बहन सफिरा खातून है, जबकि वाद में केवल तीन पुत्रों को दर्शाते हुए वंशावली को क्यूट रचित रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा वास्तविक वारिस फिरोज अहमद निवेदक एवं सफिरा खातून को जानबुझकर छुपाया गया है। निवेदन को इस वाद की जानकारी होने पर उसने आदेश 01 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 30.01.2026 को निवेदक को प्रतिवादी सं0–15 के रूप में वाद में सम्मिलित किया गया। निवेदक लगभग 35 वर्षो से दिल्ली में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है, जिसके कारण उसका कार्य व्यस्त जीवन रहा है साथ ही नरकटियागंज स्थित अपने अधिवक्ता से समुचित समन्वय एवं वाद अभिलेखों/प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में विलंब के कारण निवेदक समावधि के भीतर अपना लिखित ब्यान दाखिल नहीं कर सका। निवेदक ने अपना लिखित ब्यान दिनांक 12.03.2026 को दाखिल कर दिया है। निवेदक ने जानबुझकर ब्यान दाखिल करने में विलंब नहीं किये है, बल्कि परिस्थितिवश विलंब हो गया है। लेहाजा विलंब माफ करते हुए निवेदन का ब्यान अभिलेख पर रखा नहीं जाता है, तो निवेदक को अपूर्णीय क्षति होगा और न्याय से वंचित हो जाएगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को माफ करते हुए लिखित ब्यान को अभिलेख पर ग्रहण करने की कृपा	

न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–104/2016

CIS No.-TS 372/2018

रेयाज अहमद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 रिजवानउल्लाह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **24.04.2026**	करे। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–15 के आवेदन का न तो मौखिक विरोध किया गया न ही आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–15 निवेदन करते है कि दिल्ली में लगभग 35 वर्षो से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है एवं समुचित समन्वय एवं अभिलेख प्राप्त करने में विलंब के कारण ससमय ब्यान दाखिल नहीं कर सके। लेहाजा प्रतिवादी सं0–15 की ओर से दाखिल लिखित ब्यान को विलम्ब माफ करते हुए ग्रहण किया जाए। चूंकि प्रतिवादी सं0–15 इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–15 का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–15 का आवेदन दिनांक 02.04.2026 को मो0–500 रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 05.05.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	